COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA TWENTY RUPEES CANCELLED

समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प जबलपुर

राजस्व प्रकरण ..../2016

निग 3436-I-16

रिविजनकर्ता - उदेराम महाजन
पिता स्व. हीरालाल महाजन
जाति नगारयी (अनूसूचित जनजाति)
ग्राम देवगांव थाना उगली तह. केवलारी जिला - सिवनी
वर्तमान पता - ग्राम उमरिया इशरा थाना चौरई तह. व जिला - छिंदवाड़ा

श्री: शुभांशु मिश्रा
अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
19 SEP 2016

विरूद्ध

अनावेदक - म.प्र. शासन

181

रिविजन अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा. संहिता 1959

रिविजनकर्ता अधिनस्थ न्यायालय कलेक्टर सिवनी के राजस्व प्रकरण क्र. 51/अ-21/15-16 मे पारित आदेश दिनांक 28/07/2016 से क्षुब्द होकर यह रिविजन माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है।

27.9.16

1. यह कि, आवेदक ग्राम देवगांव थाना उगली तहसील केवलारी जिला - सिवनी का स्थाई निवासी है तथा वर्तमान में ग्राम उमरिया इशरा थाना चौरई तह. व जिला छिंदवाड़ा मे निवासरत है।

2. यह कि, रिविजनकर्ता द्वारा एक आवेदन अंतर्गत द्वारा 165 (ख) म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 के तहत् अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय प्रस्तुत किया था कि उसके स्वामित्व एवं अधिपत्य कि कृषि भूमियॉं ग्राम देवगांव पटवारी हल्का नं. 72 रा.नि.म. उगली तह. केवलारी जिला सिवनी मे स्थित भूमि जिसका ख.नं. 108/1 रकवा 1.50 हे., ख.नं. 109/1 रकवा 0.83 हे., ख.नं. 122/3 रकवा 0.34 हे., कुल ख.नं. 3 रकवा 2.70 हे. भूमि है। जिसका लगान 7.79 रूपये है।

3. यह कि, आवेदक की स्वामित्व एवं अधिपत्य की कृषि भूमि ग्राम उमरिया इशरा पटवारी हल्का नं. 53 वरदोवस्त न. 27 रा.नि.मं. छिंदवाड़ा भाग - 1 तह. व जिला छिंदवाड़ा मे स्थित है।

4. यह कि, आवेदक का विवाह हो चुका है तथा वह अपने परिवार सहित ग्राम उमरिया इशरा तह. व जिला छिंदवाड़ा मे निवासरत है।

5. यह कि आवेदक का पुत्र कोमल जिसकी 6 वर्ष पूर्व एवं आवेदक की पत्नि दिनांक 30.09.2009 को मृत्यु हो चुकी है आवेदक अपनी पत्नि एवं पुत्र की मृत्यु के पश्चात् ग्राम उमरिया इशरा जहॉं आवेदक की अन्य कृषि भूमियां स्थित है तथा आवेदक की पुत्री भी वहॉं निवास करती है विगत 6 वर्षो से आवेदक ग्राम उमरिया इशरा मे अपनी पुत्री के साथ निवासरत है।

6. यह कि आवेदक को उपरोक्त भूमि की कृषि करने मे अत्याधिक परेशानी का सामना करना

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3436-एक/16 **जिला** - सिवनी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06/06/18	प्रकरण का अवलोकन किया यह निगरानी कलेक्टर जिला सिवनी के प्रकरण क्रमांक 51/अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 28.07.2016 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ग्राम देवगांव स्थित भूमि कुल रकवा 2.70 हे. भूमि गैर-आदिवासी को विक्रय किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिस पर कलेक्टर सिवनी ने अपने आदेश दिनांक 28.07.2016 द्वारा उक्त आवेदन निरस्त किया गया। कलेक्टर के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिए गए हैं कि आवेदक को उपरोक्त भूमि की कृषि करने में अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। चूंकि आवेदक अत्यंत वृद्ध व्यक्ति है तथा आवेदक ग्राम देवगांव की कृषि भूमि को विक्रय कर ग्राम उमरिया इशरा जहां उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य की अन्य भूमियां हैं, उक्त ग्राम में स्थाई निवास करना चाहता है। तथा आवेदक अपने स्वामितव एवं आधिपत्य की ग्राम देवगांव की भूमि को विक्रय कर प्राप्त राशि से ग्राम उमरिया इशरा में भूमि एवं निवास हेतु मकान क्रय करना चाहता है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है तथा भूमि होने के बावजूद भी आवेदक अपना एवं अपनी पुत्री का पालन पोषण करने में असमर्थ है अत: आवेदक को उपरोक्त भूमियों को विक्रय करने की अनुमति दी जाना बहुत आवश्यक है जिससे कि वह अन्य ग्राम में	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

स्थित भूमि को उपजाऊ बना सके एवं अपना व अपनी पुत्री का पोषण ठीक ढंग से कर सके।

4/ अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

5/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया। यह प्रकरण धारा-165(ख) का है जो आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर प्रारंभ हुआ है। प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि यदि आवेदक को रकवा 2.70 हे. भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदाय की जाती है तो आवेदक के पास संहिता की धारा 165 में विहित प्रावधानों के तहत 10 एकड़ से कम ही भूमि शेष बचती है जिससे उसके जीविकोपार्जन में प्रभाव पड़ सकता है। उक्त आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक का आवेदन निरस्त किया गया है, जिसमें प्रथम दृष्टया कोई न्यायिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष भी भूमि विक्रय के संबंध में कोई समाधानकारक कारण नहीं दिए गए हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को स्थिर रखा जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है।

उभयपक्ष सूचित हों, अभिलेख वापिस हो।

(एम.गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य